## SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998

IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)	
Case No 2 4 1 / 1 7	Complaint or report madeon
Name and address of the Complainant	
······································	The first of the state of the s
	1977 T 5718
ALL STATE OF THE S	on to his
	STOSOSINES
	and address of accused
0,0	1 R10 4321
1) 322 als 810 Els INE	SIZ 42 SIG RIO 2497
ps of Thus	
18 M 1 1 100	
	여러에 하는 그리는 살아보았다는 그들이 다른
The offence complainant	t of, and date of, its alleged commission
The offence, samp	्र सकाम
आप पुर आरोप	है कि दिनाक 8-78-1-1-1
SQ-4 47877 21153	है कि दिनांक 8-10-1 मुकाम पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने
$\frac{7}{2}$	तिल 2131) शराब विकथ / परिवहन हेतु रखी।
आधिपत्य में 22 लीटर/पाव/ब	ातल द्वारा परित । (क) के अधीन दण्डनीय
ऐसा करके आपने आबकार	ो अधि० 1915 की घारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय
अपराध कारित किया।	
अपराव पंगारप्याः स्था अपराव स्था	प्रपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
वया आपपा उपरा	
	(20) (2) year
294012	गायक मिजस्टेट प्रथम अस
The plea of the a	ccused and his examination (if any)
अपराध स्वीकार है। सून दण्ड से दण्डित क	रने का निवेदन है।
अपराध स्वीकार है। न्यूरी वर्ज रा सार्वार	

## //निर्णय//

## (आज दिनांक 36-10-17) को घोषित)

- 01. <u>अभियुक्त के विरूद्ध आबकारी अधि</u>० 1915 की धारा 34–1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
  - 02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अत अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
    - 03. अभियुक्त को आबकारी अधि0 1915 की घारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अविध तक की सजा एवं रूपये इ०० शब्दों में प्राप्त की सजा एवं रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।

कर कर गुप्ता शायक पंजिल्हर प्रथम मण